न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 059/2019

1. सीता देवी पुत्री रामलाल पत्नी गुरदयालराम जाति जाट साकिन मोरजण्ड खारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. सोना देवी पुत्री रामलाल पत्नी आत्माराम जाति जाट साकिन वार्ड नं.11 बीझबायला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. सुख देवी पुत्री रामलाल पत्नी संदीप कुमार जाति जाट साकिन 3–4 एफ छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
4. बसन्ती देवी पुत्री रामलाल पत्नी राजेन्द्र जाति जाट साकिन वार्ड नं. 14 बीझबायला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर ।
5. शंकरलाल पुत्र रामलाल जाति जाट साकिन 2 बीएलडब्ल्यू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
6. हसंराज रामलाल जाति जाट साकिन 2 केएचएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. विजय सिंह पुत्र रामलाल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
2. जगदीशराय पुत्र रामलाल जाति जाट साकिन गोलूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
3. एसबीबीजे (मर्जर एसबीआई) शाखा गोलूवाला जरिये शाखा प्रबन्धक ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा ।
5. उप पंजीयक गोलूवाला तहसील पीलीबंगा ।

——अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1.	श्री जगराज सिंह भारी	—— प्रार्थीगण
2.	श्री जसपाल सिंह दहिया	—— अप्रार्थी सं. 1 ता 3
3.	राजपैरोकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा।	—— अप्रार्थी सं. 4
4.	उप पंजीयक गोलूवाला तहसील पीलीबंगा	—— अप्रार्थी सं. 5

–:: निर्णय ::–

दिनांक:– 3/6/24

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा धारा 212 रा.का.अधि. प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका है जिसमें प्रार्थीगण को कामयाबी की पूर्ण सम्भावना है। अप्रार्थी सं.1 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 2 बीएलडब्ल्यू–ए के खाता सं. 46/45 के प.नं. 22/236 (27) किला नं. 13/1, 18/1 की 0.253 हैक. अनकमांड खातेदारी, खाता सं. 47/46 के प.नं. 24/235 (24) किला नं. 18 ता 25 की 2.024 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड वाके [illegible] सं.1 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 2 बीएलडब्ल्यू–बी के खाता सं. 68/59 के [illegible] 24/[illegible]6 (29) किला नं. 1 ता 25 की 6.325 हैक नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता खातेदारी, खाता सं. 69/[illegible] प.नं. 24/237 (30) किला नं. 6/1 ता 10/1, 11 ता 25 की 3.985 हैक [illegible] रास्ता बाग खातेदारी द[illegible] रिकार्ड वाके है। प्रार्थना पत्र की दफा 3, 4 में वर्णित भूमि प्रार्थीगण [illegible] पैतृक कृषि भूमि है। जो अ[illegible]1 को प्रार्थीगण के दादा पुरखाराम पुत्र मूला से विरासत में प्राप्त हुई है। जिसमे प्रार्थीगण का जन्म से हक व हिस्सा निहित है। अप्रार्थी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/9 – 1/9 यानी 6/9 हिस्सा बनता है परन्तु उक्त भूमि अप्रार्थी सं.1 के नाम दर्ज रिकार्ड होने के कारण प्रार्थीगण की हकूक खातेदारी पर विपरीत असर पड़ता है। इसलिये प्रार्थीगण अपने 6/9 हिस्सा की खातेदारी घोषणा प्राप्त करने के हकदार है। अप्रार्थी सं.1 जो कि एक वृद्ध व्यक्ति है जिसकी उम्र 90 वर्ष है जिसको सोचने समझने

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.06.18 10:20:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

की पूर्ण शक्ति नही है जो अप्रार्थी सं. 2, 3 के नाजायज दबाव में है। अप्रार्थी सं. 2, 3 जो कि अत्यन्त लालची किस्म के व्यक्ति है जो अपनी लालच से वशीभूत होकर अप्रार्थी सं.1 के नाम दर्ज कृषि भूमि को प्रार्थीगण के अधिकारो के खिलाफ कोई दस्तावेज पंजीयन करवा सकते है। अप्रार्थीगण उक्त पैतृक कृषि भूमि को रहन बैय करने पर उतारू है। अगर अप्रार्थी सं. 2, 3 जो अप्रार्थी सं.1 से ऐसा कोई दस्तावेज अपने पक्ष में करवाया जाता है तो ऐसा दस्तावेज प्रार्थीगण के हितो के खिलाफ शुरू से ही शुन्य व अप्रभावी है। यदि वे अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति होगी जिसकी भरपाई किया जाना नितान्त मुशकिल होगा। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिये प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है कि अप्रार्थीगण उक्त पैतृक कृषि भूमि को अन्य व्यक्तियों को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे, प्रार्थीगण के हितो के विरूद्ध कोई दस्तावेज पंजीयन न करवाये व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा ता फैसला बाद विरूद्ध अप्रार्थीगण इस अमर की जारी की जावे कि अप्रार्थीगण तहसील पीलीबंगा के चक 2 बीएलडब्ल्यू–ए के खाता सं. 46/45 के प.नं. 22/236 (27) किला नं. 13/1, 18/1 की 0.253 हैक. अनकमांड खातेदारी, खाता सं. 47146 के प.नं. 24/235 (24) किला नं. 18 ता 25 की 2.024 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी व चक 2 बीएलडब्ल्यू–बी के खाता सं. 68/59 के प.नं. 24/236 (29) किला नं. 1 ता 25 की 6.325 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता खातेदारी, खाता सं. 69/60 के प.नं. 24/237 (30) किला नं. 6/1 ता 10/1, 11 ता 25 की 3.985 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता बाग खातेदारी को अन्य व्यक्तियों को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे, प्रार्थीगण के हितो के विरूद्ध कोई दस्तावेज पंजीयन न करवाये व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सरिस्ता रिपोर्ट के आधार पर दर्ज रजिस्टर किया गया अधिवक्ता श्री जसपाल सिंह दहिया द्वारा उपरोक्त अनवान का प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी न. 1 ता 3 की ओर से वकालतनामा व जवाब प्रार्थना प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य निम्न प्रकार से है कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित सजराखान दान का सिद्ध भार प्रार्थीगण का है। प्रार्थना पत्र की दफा 3 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की दफा 4 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड दर्ज होने से स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 अस्वीकार है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र की दफा 2 व 3 में वर्णित कृषि भूमि मुताबिक हिन्दू विधि अप्रार्थी न.1 को उसके पिता पुरखराम पुत्र मूला के फौत होने से एंव हिन्दू विधि में संशोघन सन् 2005 ई. में होने से बहुत समय पहले जरिये विरासतन ईन्तकाल दिनाक 17.8.1995 ई. को एंव प्रार्थना पत्र की दफा 3 व 4 में वर्णित तमाम कृषि भूमि मुताबिक हिन्दू विधि ओद हो चुकी होने से व अप्रार्थी न. 1 रामलाल के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हो चुकी होने से प्रार्थना पत्र की दफा 3 व 4 व 5 में वर्णित कृषि भूमि अप्रार्थी न. 1 की स्वंय अर्जित कृषि भूमि है। उक्त मुझ मुझ अप्रार्थी न. 1 रामलाल का पिता पुरखाराम वर्ष 1995 से पूर्व फौत होने से पुरखराम की मृत्यू के तुरन्त पश्चात उक्त पुरखाराम के नाम उक्त वर्णित कृषि भूमि अप्रार्थी न. 1 को विरासतन प्राप्त होने से मुताबिक हिन्दू विधि की धारा 6 व 8 के अप्रार्थी न. 1 रामलाल व प्रार्थी न. 5 व 6 एव अप्रार्थी न. 2 व 3 यानि शंकरलाल, हँसराज, विजयसिंह, जगदीशराय पि. रामलाल को ब. हिस्सा बराबर बराबर वर्ष 1995 में ही कानूनन प्राप्त हो चुकी जिससे अप्रार्थी न. 1 के उक्त प्रार्थना पत्र की दफा 3 व 4 में वर्णित कृषि भूमि में से मुझ अप्रार्थी न. 1 का 1/5 हिस्सा में से मुझ अप्रार्थी न. 1 रामलाल के जीवनकाल में प्रार्थीगण व अप्रार्थी न. 2 व 3 को कोई हक व हिस्सा प्राप्त नहीं होता है। जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है। जबकि प्रार्थना पत्र की दफा 3 व 4 में वर्णित अप्रार्थी न. 1 के नाम दर्ज है।राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी पैतृक कृषि भूमि में से हम अप्रार्थी न. 2 व 3 अपना 2/5 हिस्सा ब. जगदीश रामलाल विजय सिह हिस्सा बराबर बराबर के मालिक व खातेदार होने की घोषणा पाने के मुताबिक हिन्दू विधि हकदार जो हम अप्रार्थी न. 2 व 3 के दादा उक्त पुरखाराम की मृत्यू होने से एंव वर्ष 1995 [illegible] पैतृक कृषि भूमि प्राप्त हो चुका है। प्रार्थीगण ने निराधर प्रार्थना पत्र पेश किया है प्रार्थी[illegible] पत्र खारिज किया जावे। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 अस्वीकार है। [illegible] जो अप्रार्थी न. 2 व 3 के किसी प्रकार के दबाव में नहीं है। प्रार्थीगण अप्रार्थी न. 1 को [illegible] अधिकारो से वंचित करने के हकदार नहीं है। प्रार्थीगण के पक्ष मे पृथम दृष्टया मामला व [illegible] का सन्तुलन नहीं है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के खिलाफ कोई निशेधाज्ञा पाने के हकदार नहीं है। [illegible]गण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अतः अप्रार्थी न. 1 ता 3 का जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.06.18 10:20:22 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली में उभय पक्ष अधिवक्ता बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रकरण 5 वर्ष से लम्बित है हको का निर्धारण मूल वाद में तय होना है हको के संबध में उभय पक्ष द्वारा मूल वाद मे

उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

प्रभावी पैरवी की जा सकती है दिनांक 12.07.2019 को जारी स्थगन आदेश ता फैसला दावा कन्फर्म किए जाने से किसी पक्ष को नुकसान नहीं है। बल्कि उभय पक्षों के मध्य आगे विवाद नहीं बढने में सहायक ही है। अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप दिनांक 12.07.2019 को जारी स्थगन आदेश ता फैसला दावा कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो। आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
उपखण्ड पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.06.18 10:20:22 IST
Reason: SelfAttested